रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2005/माघ 5, 1926
No. 71] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2005/MAGHA 5, 1926

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2005

का.आ. 85(अ).—जीव-जन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 32(अ), दिनांक 10-1-2003 में पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना में, जिसे का.आ. 599(अ), दिनांक 26-5-2003, का.आ. 955(अ) दिनांक 21-8-2003 और का.आ. 69(अ) दिनांक 15-1-2004 द्वारा यथा-संशोधित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 1 के सामने दी गई प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी तथा निम्नलिखित प्रविष्टियां सम्मिलित कर दी जाएंगी, नामश: :—

1.	श्री सुरेश चन्द्र, विशेष सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली।	—सदस्य

3. उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत सरकार श्री सुरेश चन्द्र, विशेष सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को दिनांक 2 दिसम्बर, 2004 से पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यावेक्षण संबंधी समिति (सी पी सी एस ई ए) के अध्यक्ष पद पर नामित करती है।

[मि.सं. 25/1/2003-ए डब्ल्यू डी]

देश दीपक वर्मा, संयुक्त सचिव

नोट.—पशुओं पर प्रयोगों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण संबंधी समिति (सी पी सी एस ई ए) के संबंध में पूर्व में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गईं :—

(1) सं. सा.का.नि. 238 दिनांक 8-2-1991

(2) सं. 7-7/94-ए डब्ल्यू दिनांक 23-02-1996

(3) सं. का.आ. 140(अ) दिनांक 17-02-2000

(4) सं. का.आ. 547(अ) दिनांक 25-05-2000

(5) सं. का.आ. 894(अ) दिनांक 07-09-2001

(6) सं. का.आ. 32(अ) दिनांक 10-01-2003

(7) सं. का.आ. 599(अ) दिनांक 26-05-2003

(8) सं. का.आ. 955(अ) दिनांक 21-08-2003

(9) सं. का.आ. 69(अ) दिनांक 15-01-2004

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2005

S.O. 85(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests S.O. 32(E) dated 10-01-2003 relating to the constitution of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA), as amended vide Notifications S.O. 599(E) dated 26-05-2003, S.O. 955(E) dated 21-08-2003 and S.O. 69(E), dated 15-01-2004.

2. In the said Notification, the existing entries against Serial No. 1 shall be deleted and the following entries shall be inserted, namely :—

1.	Shri Suresh Chandra, Special Secretary, Government of India, Ministry of Environment and Forests, New Delhi.	Member

3. Under the powers conferred to it in Sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Central Government hereby nominates Shri Suresh Chandra, Special Secretary, Government of India, Ministry of Environment and Forests, to be the Chairman of the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) with effect from 2nd December, 2004.

[F. No. 25/1/2003-AWD]

DESH DEEPAK VERMA, Jt. Secy.

Note.—The following notifications were issued earlier in relation to the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) :—

(1) No. G.S.R. 238 dated 8-2-1991

(2) No. 7-7/94 AW dated 23-02-1996

(3) No. S.O. 140(E) dated 17-02-2000

(4) No. S.O. 547(E) dated 25-05-2000

(5) No. S.O. 894(E) dated 07-09-2001

(6) No. S.O. 32(E) dated 10-01-2003

(7) No. S.O. 599(E) dated 26-05-2003

(8) No. S.O. 955(E) dated 21-08-2003

(9) No. S.O. 69(E) dated 15-01-2004

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.